यह निरीक्षण प्रतिवेदन जिला कार्यक्रम अ धकारी, उत्तरकाशी, द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर तैयार कया गया है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध कराई गयी कसी त्रुटिपूर्ण सूचना अथवा अप्राप्त सूचना के लए कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

जिला कार्यक्रम अ धकारी, उत्तरकाशी, के माह 11/2014 से 09/2017 तक के लेखा अ भलेखों की लेखापरीक्षा पर आधारित निरीक्षण प्रतिवेदन जो श्री र व शंकर, सहायक लेखापरीक्षा अ धकारी एस0एस0 राणा, ले0प0अ0 एवं श्री वजय कुमार, वरिष्ठ लेखापरीक्षक द्वारा दिनांक 12.10.2017 से 27.10.2017 तक श्री एस0 के0 जौहरी लेखापरीक्षा अ धकारी के पूर्ण पर्यवेक्षण में सम्पादित कया गया।

<u>भाग-प्रथम</u>

1. परिचयात्मकः- इस इकाई की वगत लेखापरीक्षा श्री र व शंकर सहायक लेखापरीक्षा अ धकारी एवं श्री प्रत्यांशु कुमार लेखा परीक्षक द्वारा दिनांक 15/11/2014 से 27/11/2014 तक श्री प्रेम चन्द लेखापरीक्षा अ धकारी/लेखापीरक्षा अ धकारी के पर्यवेक्षण में सम्पादित की गयी थी। जिसमें माह 01/2008 से 10/2014 तक के लेखा अ भलेखों की जांच की गयी थी। वर्तमान लेखापरीक्षा में माह 11/2014 से 09/2017 तक के लेखा अ भलेखों की जांच की गयी।

2. (I) इकाई के क्रयाकलाप एवं भौगो लक अ धकार क्षेत्रः- जिला कार्यक्रम अ धकारी, उत्तरकाशी,
(II) (इकाई द्वारा संचा लत योजनाओं सहित क्रयाकलाप तथा भौगो लक अ धकार क्षेत्र बताया जाय) नन्दा देवी कन्या योजना, वृद्ध महिला पोषण योजना, THR Cooked food (2014-15) सबला (2014-15)
(II) (अ) वगत तीन वर्षों में बजट आवंटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत हैः

(₹ लाख में)

वर्ष	प्रारम्भिक अवशेष		स्थापना		गैर स्थापना		अ धक्य (+)	बचत (-) समर्पण
	स्थापना	गैर स्थापना	आवंटन	व्यय	आवंटन	व्यय		
2014-15	--	--	2067.06	1880.43	243.45	200.10	--	229.98
2015-16	--	--	72.38	53.29	135.02	126.52	--	27.59
2016-17	--	--	51.75	31.26	201.09	198.56	--	23.02
2017-18	--	--	27.71	21.56	19.14	09.59	--	15.70

(ब) केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं के अंतर्गत प्राप्त नि ध एवं व्यय ववरण निम्नवत हैः-

(₹ लाख में)

वर्ष	योजना का नाम	प्रा. अवशेष	प्राप्त	व्यय आ धक्य (+)	बचत (-)
प्रस्तुत					

प्रतिवेदन जिला कार्यक्रम अ धकारी उत्तरकाशी (जिस इकाई की लेखापरीक्षा सम्पादित की गयी हो उसे अं कत कया जाय) की लेखापरीक्षा में पाये गये निष्कर्षों पर आधारित है। माह 03/15 एवं 03/17 को वस्तृत जांच हेतु चयनित कया गया।

नन्दा देवी कन्या योजना वृद्ध महिला पोषण, अनूपूरकपोषाहार, RUTF (जिस योजना का चयन कया गया उसका नाम अं कत कया जाय) का वस्तृत वश्लेषण कया गया। प्रतिचयन लागत एवं व्यय रा श तथा कार्य की वास्त वक स्थिति को ध्यान में रखकर चयन कया गा। (प्रतिचयन व धत का नाम अं कत कया जाय) के आधार पर कया गया।

(vi) लेखापरीक्षा भारत के सं वधान के अनुच्छेद 149 के अधीन बनाये गये नियंत्रक महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियाँ तथा सेवा की शर्ते) अ धनियम, 1971 (डी पी सी एक्ट, 1971) की धारा 13 लेखा तथा लेखापरीक्षा वनियम, 2007 तथा लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार सम्पादित की गयी।

भाग- दो (ब)

प्रस्तर 01 :- वभागीय उदासीनता के कारण "नन्दा देवी कन्या" योजना के अर्न्तगत 127 पात्र आवेदको को योजना के लाभ से वं चत रखने के परिणामस्वरूप रू 15000/- प्रति की दर से रू 19.05 लाख का भुगतान कया जाना लंबित रहना।

राज्य सहायतित "नन्दा देवी कन्या" योजना का लाभ राज्य के उन समस्त निवी सयो, जिनके परिवार में 01 जनवरी 2009 के बाद दो जी वत बा लकाओ ने जन्म लया हो तथा वे इस योजना के अर्न्तगत लाभ प्राप्त करने की समस्त शर्ते पूरी करते हो, चाहे इसके पूर्व उन की अन्य जी वत संताने भी हो को दिया जाना है। योजना के अर्न्तगत आ र्थक सहायता के रूप में रू 15000/- की धनरा श तीन कश्तो में प्रदान कये जाने का प्रावधान है।

जिला कार्यक्रम अ धकारी, उत्तरकाशी के योजना संबंधी अ भलेखों की नमूना जांच में पाया गया क इकाई को लेखा परीक्षा ति थ (अक्टूबर 2017) तक वर्ष 2009 से 2015 की अव ध के पात्र कन्याओ के कुल 2074 आवेदन प्राप्त हुये। योजना के दिशा निर्देशों के अनुसार इन सभी पात्र आवेदको को योजना का लाभ दिया जाना चाहिए था, परन्तु इन आवेदको में से मात्र 1947 आवेदको को ही योजना का लाभ प्रदान कया गया जब क शेष 127 आवेदको को वर्तमान तक योजना के लाभ से वं चत रखा गया था जो योजना के दिशा निर्देशों के वपरीत था जिससे वभाग पर रू 19.05 लाख (127 आवेदको को रू 15000 प्रति) का बकाया भुगतान कया जाना लंबित था। उल्लेखनीय है क इन 127 आवेदको को लाभान्वित करने हेतु आवश्यक धनरा श की वभाग के पास कोई व्यवस्था नहीं थी एवं नही इस संबंध में कोई प्रयास कये गये थे।

लेखा परीक्षा द्वारा इस संबंध में इं गत कये जाने पर इकाई ने अपने उत्तर में बताया क 127 पात्र आवेदको को शीघ्र ही योजना का लाभ प्रदान कया जायेगा तथा वं चत 127 लाभा र्थयो को योजना का लाभ देने हेतु निदेशालय से बजट की माँग की जा रही है। इकाई का उत्तर स्वतः ही लेखा परीक्षा आप त्त की पुष्टि करता है। अतः वभागीय उदासीनता के कारण योजना के अर्न्तगत 127 पात्र आवेदको को योजना के लाभ से वं चत रखने के परिणाम स्वरूप रू 19.05 लाख का भुगतान कया जाना लंबित रखने का प्रकरण प्रकाश में लाया जाता है।

<u>भाग- दो (ब)</u>

प्रस्तर 02 :- सामग्री आपूर्ति के देयकों से 1,13,944/-की टी.डी.एस. कटौती न कया जाना।

आयकर अ धनियम के प्रावधानों (धारा 194 C) के अनुसार प्रत्येक आहरण वतरण अ धकारी द्वारा की गई सामग्री अ धप्राप्तियों के लए ठेकेदार के बिल से 2 प्रतिशत की दर से टी.डी.एस. (Tax Deduction at source) की कटौती की जानी चाहिए।

कार्यालय जिला कार्यक्रम अ धकारी, उत्तरकाशी के अ भलेखों की नमूना जांच में पाया गया क इकाई द्वारा वर्ष 2015-16 में अधीनस्थ परियोजनाओं के आंगनवाड़ी केन्द्रों में अवसंरचना सु वधा आदि उपलब्ध कराने हेतु व भन्न फर्मों यथा Hi-tech communication, Dehradun, से 3500658/-, Mahadev Printing press & Stationers, kotdwar से 1437308/-Sheetal Crockery Centre, Uttarkashi से 435401/- Naveen Group, Uttarakashi से 86850/- Munal Book Depot, Naugaon से 237000/- (कुल 56,97,217/-सूची संलग्न) की सामाग्री का क्रय न्यूनतम दरों के आधार पर कया गया था जिनके देयकों से 2% की दर से टी.डी.एस. (Tax Deduction at source) की कटौती की जानी अपे क्षत थी परंतु इकाई द्वारा आपूर्तिकर्ता फर्मों के देयकों से कुल टी.डी.एस. 1,13,944/-की कटौती नहीं की गई है।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगति करने पर इकाई ने अपने उत्तर में बताया क नियमों की जानकारी के अभाव में टी. डी. एस. की कटौती नहीं की जा सकी। इस संबंध में आवश्यक कार्यवाई शीघ्र करते हुए लेखा परीक्षा को अवगत कराया जाएगा।

इकाई का उत्तर स्वतः ही लेखा परीक्षा आप त्त की पुष्टि करता है। अतः धनरा श रू 1,13,944/- की टी.डी.एस. कटोती न कए जाने का प्रकरण संज्ञान में लाया जाता है।

STAN

प्रस्तर 01 :- नवीन आंगनवाडी केन्द्र भवनो के निर्माण एवं पुराने आंगनवाड़ी केन्द्र भवनो के उच्चीकरण के कार्य को अपूर्ण रखते हुए रू 69.90 लाख की धनरा श को अवरूद्ध रखा जाना।

जिला कार्यक्रम अ धकारी उत्तर काशी के लेखा अ भलेखो की नमूना जांच में पाया गया क भारत सरकार द्वारा वत्तीय वर्ष 2014-15 में जनपद उत्तर काशी में 100 नवीन आंगनवाड़ी केन्द्र भवनो के निर्माण एवं 8 पूर्व आंगनवाड़ी भवनो के उच्चीकरण कार्यों हेतु रू 458.00 लाख की धनरा श अवमुक्त की गयी (फरवरी 2015)। समे कत बाल वकास निदेशालय द्वारा यह स्पष्ट निर्देश दिये गए थे क वर्ष 2014-15 में उक्त धनरा श का उपयोग कर निर्माण कार्य पूर्ण कर लए जाए। निर्माण कार्ये संबंधी अ भलेखो की लेखा परीक्षा में पाया गया क लेखापरीक्षा ति थ (अक्टूबर 2017) तक 100 नवीन आंगनवाड़ी केन्द्र भवनो के निर्माण कार्ये के सापेक्ष मात्र 66 आंगनवाड़ी केन्द्र भवनो के निर्माण का कार्ये पूर्ण कया गया था जब क 8 पूर्व आंगनवाड़ी भवनो के उच्चीकरण कार्य के सापेक्ष 5 केन्द्रो का ही उच्चीकरण कार्य पूर्ण कया गया था। इस प्रकार संबं धत वकास खंडो को निर्माण कार्य हेतु धनरा श उपलब्ध कराने (जून 2015) के 27 माह की अव ध बीत जाने के पश्चात भी 34 नवीन आंगनवाड़ी केन्द्र भवनो के निर्माण का कार्य तथा 03 पूर्व आंगनवाड़ी भवनो के उच्चीकरण का कार्य अपूर्ण था। उल्लेखनीय है क इकाई द्वारा जिन कार्यो को पूर्ण बताया जा रहा है उनकी पूर्णता के प्रमाण के संबंध में कार्ये स्थल का कोई फोटो इकाई के पास उपलब्ध नहीं था। इसके अतिरिक्त निर्माण कार्यो के अपूर्ण रहने के चलते रू 69.90 लाख की धनरा श खंड वकास स्तर पर अवरूद्ध रखी गयी थी। लेखा परीक्षा द्वारा इस संबंध में इं गत कये जाने पर इकाई ने अपने उत्तर में बताया क अपूर्ण निर्माण कार्यो को शीघ्र पूर्ण करने के संबंध में निर्देश दिये गए है साथ ही स्वीकार कया क ये धनरा श अपूर्ण निर्माण कार्यो से संबं धत है, निर्माण कार्यो को शीघ्र पूर्ण करने के संबंध में निर्देश दिये गए है, यदि कोई बचत पायी गयी तो उसकी वसूली की जाएगी।

इकाई का उत्तर संतोषजनक नहीं है क्यों क जिन निर्माण कार्यो को वर्ष 2014-15 में पूर्ण कया जाना था वे निर्माण कार्य संबं धत वकासखंड अ धकारियो को धनरा श अवमुक्त कए जाने के 27 माह क अव ध व्यतीत हो जाने के पश्चात भी अपूर्ण पड़े थे साथ ही साथ रू 69.90 लाख क धनरा श वकासखंड स्तर पर अवरूद्ध रखी गयी थी।

अतः नवीन आंगनवाड़ी केन्द्र भवनो के निर्माण एवं पुराने आंगनवाड़ी केन्द्र भवनो के उच्चीकरण के कार्य को अपूर्ण रखते हुए रू 69.90 लाख की धनरा श को अवरूद्ध रखे जाने का प्रकरण प्रकाश में लाया जाता है।

STAN

प्रस्तर 02 :- वभागीय उदासीनता के चलते कशोरियो को **IFA** टेबलेट उपलब्ध न होना तथा रू 1.20 लाख का अवरूद्ध रहना।

निदेशालय आई.सी.डी.एस. उत्तराखण्ड देहरादून के पत्र सं सी-973/बजट2961/2014-15 दिनांक 08 जुलाई 2014 के द्वारा जनपद उत्तर काशी में सबल योजना में गैर पोषाहार घटक की गति व धयो के आयोजन हेतु वत्तीय वर्ष 2014-15 में कुल रू 22,80.000.00 का बजट आवंटन हुआ, जिसमे कशोरी बा लकाओ को IFA टेबलेट उपलब्ध कराने हेतु रू 120,000/- का प्रावधान कया गया। शर्तो एवं प्रतिबन्धों में शा मल था क इस योजना के अर्न्तगत आवांटन धनरा श का उपयोग प्रमाण पत्र यथाशीघ्र निदेशालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित कया जाय।

जिला कार्यक्रम अ धकारी बाल वकास, उत्तरकाशी के सबला योजना से सम्बन्धित अ भलेखों की संवीक्षा में पाया गया क जिला कार्यक्रम अ धकारी द्वारा रू 1,20,000.00 का चैक उपलब्ध कराते हुए स्कूल छोड़ चुकी 124 कशोर बा लकाओ हेतु IFA टेबलेट उपलब्ध कराने हेतु मुख्य च कत्सा अ धकारी उत्तरकाशी से अनुरोध कया (2 मई 2016)। मुख्य च कत्सा अ धकारी, उत्तरकाशी द्वारा IFA टेबलेट उपलब्ध न होने के कारण 05/07/2016 को चैक वापस कर दिया गया तथा पुनः जिला कार्यक्रम अ धकारी, उत्तरकाशी द्वारा मुख्य च कत्सा अ धकारी, उत्तरकाशी को IFA टेबलेट उपलब्ध कराने का अनुरोध कया गया (25/03/2017)। लेखा परीक्षा ति थ तक IFA टेबलेट इकाई को उपलब्ध नही थी। स्पष्ट है क बजट आवंटन की ति थ से लेखा परीक्षा ति थ तक ढाई वर्ष की अव ध व्यतीत हो जाने के बाद भी, वभागीय उदासीनता के चलते कशोरियो को IFA टेबलेट उपलब्ध नही हो पायी है, जिससे आवंटित धनरा श का उद्देश्य भी वफल हो जाता है साथ ही सूची से यह भी स्पष्ट है क चन्हित की गयी 124 कशोरियो में से 108 कशोरिया उक्त अव ध में (ढाई वर्ष) अपनी कशोर अवस्था को भी पार कर चुकी है, जिसके परिणाम स्वरूप उक्त कशोरिया IFA टेबलेट से मलने वाले स्वास्थ्य लाभ से भी वं चत रही, जो क योजना के उद्देश्यों की भी वफल करता है।

इं गत करने पर इकाई द्वारा अपने उत्तर में बताया क सी.एम.ओ. के माध्यम से IFA टेबलेट प्राप्त की जाती है जिस कारण देरी हो रही है। इकाई का उत्तर मान्य नहीं है क्यों क इकाई धन आवंटन के पश्चात यथाशीघ्र ही टेबलेट उपलब्ध कराना था जिससे क कशोरिया अपनी कशोर अवस्था में टेबलेट से स्वास्थ्य लाभ प्राप्त करती तथा योजना के उद्देश्य भी पूरे होते। देरी से टेबलेट उपलब्ध कराना कशोरियो को स्वास्थ्य लाभ से वं चत कर रहा है तथा योजना के उद्देश्य भी पूरे नही हो रहे है।

अतः प्रकरण संज्ञान में लाया जाता है।

<u>भाग-III</u>

वगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का ववरण

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	भाग-दो (अ) प्रस्तर संख्या	भाग-दो (ब) प्रस्तर संख्या
167/2005-06	शून्य	1
118/2014-15	शून्य	1

वगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों की अनुपालन आख्याः

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	प्रस्तर संख्या लेखापरीक्षा प्रेक्षण	अनुपालन आख्या	लेखापरीक्षा दल की टिप्पणी	अभ्युक्ति
167/2005-06 दो-(अ) दो-(ब) 00 01 118/2014-15 00 01		शून्य	इकाई द्वारा वगत लेखापरीक्षा प्रतिवेदन की अनुपालन आख्या प्रस्तुत नही क गयी जिससे प्रस्तर अनिस्तारित रहे।	

<u>भाग-IV</u>

इकाई के सर्वेत्तम कार्य

----------शून्य---------

<u>भाग-V</u>

आभार

1. कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून लेखापरीक्षा अव ध में अवस्थापना संबंधी सहयोग सहित मांगे गये अ भलेख एवं सूचनाएं उपलब्ध कराने हेतु जिला कार्यक्रम अ धकारी, उत्तरकाशी, तथा उनके अ धकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है।
2. लेखापरीक्षा में निम्न ल खत अ भलेख प्रस्तुत नहीं कये गयेः

(I) शून्य

3. सतत् अनिय मतताएं

(I) शून्य

4. लेखापरीक्षा अव ध में निम्न ल खत अ धकारियों द्वारा कार्यालाध्यक्ष का कार्यभार वहन कया गयाः

क्र.सं.	नाम	पदनाम	अव ध
1.	श्री मुकुल चौधरी	जिला कार्यक्रम अ धकारी	04/11/14 से 16/11/16
2.	श्री मोहित चौधरी	जिला कार्यक्रम अ धकारी	17/11/16 से वर्तमान तक

(V) लघु एवं प्र क्रयात्मक अनिय मतताएं जिनका समाधान लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं हो सका उन्हें नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मि लत कर एक प्रति जिला कार्यक्रम अ धकारी, उत्तरकाशी, को इस आशय से प्रे षत कया गया क वह लेखापरीक्षा टिप्पणी की प्राप्ति के एक माह के भीतर उसकी अनुपालन आख्या सीधे उप-महालेखाकार, सामाजिक क्षेत्र, कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, महालेखाकार भवन, कौलागढ़, देहरादून को प्रे षत करना सुनिश्चित करें।

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अ धकारी /सा.क्षे.